

प्रेस नोट – जनपद फतेहगढ़



दिनांक:- 23-03-2021

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद फतेहगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहगढ़ व श्रीमान क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद के पर्यवेक्षण में जमानत के निरस्तीकरण के अन्तर्गत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त अमन उर्फ गोविन्द उर्फ गोलडी चौहान पुत्र इन्द्रपाल निवासी उडना डाडा थाना कुर्रा जनपद मैनपुरी मु0अ0सं0 628/17 धारा 395/397/412/120बी भादवि थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ के मुकदमें में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 20.4.2018 को सशर्त जमानत पर रिहा किया गया था। किन्तु अभियुक्त उपरोक्त ने मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा लगाई गयी शर्तों का पूर्ण उल्लंघन करते हुये न्यायालय में लम्बे समय से अनुपस्थित रहा तथा अभियुक्त द्वारा जमानत पर बाहर आने के उपरान्त जमानत का उल्लंघन कर पुनः अपराध किया है, दिनांक 6.7.2020 को वादी श्री दिनेश कुमार पुत्र तेज सिंह निवासी सिठौली थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़ से धीरपुर चौराहा के पास सिर में डण्डा मारकर 3,20,000/- रुपये अपने साथियों के साथ लूट लिये। जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 199/20 धारा 394 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ। प्रकाश में अमन उर्फ गोविन्द उर्फ गोलडी चौहान पुत्र इन्द्रपाल निवासी उडना डाडा थाना कुर्रा जनपद मैनपुरी आदि पाँच नफर आये। दिनांक 18.7.2020 को पुलिस मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त अमन उर्फ गोविन्द उर्फ गोलडी चौहान उपरोक्त आदि से लूटी गयी धनराशि बरामद हुई। जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 208/20 धारा 307 भादवि बनाम अमन उर्फ गोविन्द उर्फ गोलडी चौहान उपरोक्त तथा मु0अ0सं0 209/20 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट बनाम अमन उर्फ गोविन्द उर्फ गोलडी चौहान उपरोक्त पंजीकृत किया। अभियुक्त अमन उर्फ गोविन्द उर्फ गोलडी चौहान उपरोक्त को दिनांक 18.7.2020 को मा0 न्यायालय स्पेशल जज डकैती कोर्ट में पेश किया गया। अभियुक्त उपरोक्त द्वारा जमानत शर्तों का उल्लंघन कर पुनः अपराध किया गया। जिसके सम्बन्ध में प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ द्वारा अभियुक्त उपरोक्त की जमानत निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में मा0 न्याया0 में रिपोर्ट दी गयी। जिसे आज दिनांक 23.3.2021 को प्र0नि0 राकेश कुमार थाना मोहम्मदाबाद जनपद फर्रुखाबाद की रिपोर्ट पर मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र / तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त अमन उर्फ गोविन्द उर्फ गोलडी चौहान पुत्र इन्द्रपाल निवासी उडना डाडा थाना कुर्रा जनपद मैनपुरी का अ0सं0 628/17 धारा 395/397/412/120बी भादवि थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ के मुकदमें में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 20.4.2018 को दी गयी जमानत निरस्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

अभियुक्त का नाम व पता-

1- अमन उर्फ गोविन्द उर्फ गोलडी चौहान पुत्र इन्द्रपाल निवासी उडना डाडा थाना कुर्रा जनपद मैनपुरी

